रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1710] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 4, 2019/ज्येष्ठ 14, 1941
No. 1710] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 4, 2019/JYAISTHA 14, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2019

का.आ. 1915(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया सिविल जिलों में स्थित देहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य (डब्ल्यूएलएस) को एफआरडब्ल्यू.34/2003/पीटी/6 दिनांक 19 जून, 2004 को घोषित किया गया था; डिगबोई संभाग का क्षेत्रफल 87.12 वर्ग किलोमीटर और डिब्रूगढ़ संभाग का 24.07 वर्ग किलोमीटर कुल मिलाकर 111.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करने वाले विद्यमान रिज़र्व वनों के भाग शामिल हैं जिसमें डिगबोई संभाग में ऊपरी देहिंग (पश्चिम खंड) रिज़र्व वन का 56.6950 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र डीरोक रिज़र्व वन का 30.4255 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और डिब्रूगढ़ संभाग में जेपोर रिज़र्व वन का 24.07 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल हैं। डीरोक नदी डीरोक रिज़र्व वन के दक्षिणी भाग से बहती है और बर्डीहिंग नदी ऊपरी देहिंग (पश्चिम खंड) रिज़र्व वन और जेपोर रिज़र्व वन के बीच से बहती है;

और, देहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य प्राइमेट्स, हाथियों और पशुओं और पक्षियों की कुछ गंभीर संकटापन्न प्रजातियों का एक प्रमुख पर्यावास है। देहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य की प्रमुख प्रजाति हुलॉक गिब्बन (*बिमोपेथिकस हूलॉक हूलॉक*) है भारत में पाया जाने वाला एकमात्र पश्चिमी वानर है, जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची-I प्रजाति है और वन्य जीवजन्तु और वनस्पति,1973 की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन के तहत लुप्तप्राय प्रजातियों संबंधी परिशिष्ट-1 में भी शामिल है। वन्यजीव अभयारण्य भी एशियाई हाथी का प्रमुख पर्यावास है, जिनकी 2011 में अनुमानित संख्या 204 और यह असम में उत्तर में ऊपरी देहिंग (पश्चिम खंड) रिज़र्व वन और दक्षिण में जेपोर रिज़र्व वन के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा, यह दक्षिण पूर्व सीमा पर अरुणाचल प्रदेश के वनों के जुड़ाव को बनाए रखता है और महत्वपूर्ण गलियारा प्रदान करता है। इस अभयारण्य से अधिकतर अरुणाचल प्रदेश के वनों से डिगबोई वन संभाग के अंतर्गत वनों में हाथी और अन्य जंगली पशु जैसे बाघ आदि का प्रवास होता है। यह क्षेत्र एशियाई हाथी के महत्वपूर्ण गलियारों में से एक माना जाता है;

और, यहां कुल 43 स्तनधारी अभिलिखित किए गए हैं; देहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य और आस-पास के वनों में, भारत में किसी भी स्थान पर सबसे अधिक, 17 मांसाहारी प्रजातियाँ कैमरा में ली गई हैं। यह दुनिया की पहला स्थान है जहां तस्वीरों से एक भू-दृश्य में बिल्लियों की 7 प्रजातियों की पुष्टि की है। भू-दृश्य में संकटापन्न स्तनधारियों की पाँच प्रजातियां बाघ, जंगली कुत्ता, हाथी, हूलॉक गिब्बन और गंगेटिक डॉल्फिन हैं; संकटापन्न पक्षी लॉग-बिल्ड गिद्ध (गंभीर संकटापन्न), व्हाइट विंग्ड वुड-डक और ग्रेटर ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क हैं। विश्व स्तर पर गंभीर रूप से संकटापन्न वृक्षों की प्रजातियाँ *वेटिका लैंकेफोलिया* (मोरहल) संरक्षण महत्व के पौधों में से हैं;

और, वनों में कुछ सामान्य पक्षी जैसे ग्रेट व्हाइट बिल्ड हेरोन, लेजर एडजुटेंट स्टॉर्क, व्हाइट विंग्ड वुड डक, स्लेण्डर बिल्ड वल्चर और व्हाइट चेक्ड हिल तीतर पाए जाते हैं। 2009 के दौरान किए गए प्राइमेट गणना में प्राइमेट की 2359 सं. अभिलिखित की गई है। डिगबोई वन संभाग के अंतर्गत हुलॉक गिब्बन की 256 सं. सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, यह सरीसृपों और अकशेरुकी की विभिन्न प्रजातियों की प्रजनन-भूमि है। देहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य को असम घाटी उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सदाबहार वन आवरण से प्राइमेट्स को उनकी आजीविका के लिए मदद की है। संरक्षित क्षेत्र त्रि-स्तरीय कनोपी के लिए महत्वपूर्ण है। ऊपरी कनोपी *डिप्टरोकार्पस रेटसस* और *शोरिया अस्मिका* वनों से बना हुआ है। मध्य खंड पर *मेसुआ फेरीया* और *वैटिका लैंसोफिलिया* की प्रधानता है। इस कनोपी में अन्य प्रजातियों में *टर्मिनलिया चेबुला, सिज़िगियम कुमिनी, सैपियम बेकाटम, डायसॉक्सिलम बिन्टेकारिफ़ेरम, टर्मिनलिया बेलेरिका,* आदि पाए जाते हैं। झाड़-झंखाड़ में लकड़ी झाड़ियाँ जैसे *मायर्साइन कैपिटेलाटा, ओसबेकिया एसपीपी. लैपॉर्टिया क्रैनुलता,* झाड़ियाँ जैसे *फ्रीनियम प्लैसेंटारिम, अलपिनिया एलुगास* आदि भी पाए जाते हैं। पर्वतारोही कई हैं और अत्यधिक पाए जाते हैं। उनमें से सामान्य *थुनबर्गिया ग्रैंडिफ्लोरा, बाउहिनिया वाहली* आदि हैं;

और, संरक्षित क्षेत्र पटकई श्रेणी के पादगिरि में डिगबोई क्षेत्र में स्थित है और इसमें तिपम रेत पत्थर के साथ ऊपरी तृतीयक चट्टानें हैं, जो तेल और कोयले के भंडार की विशेषता है। देहिंग नदी के जलोढ़ निक्षेपों की विशेषता इसके मोटे रुप, लाल रंग, रेतीली मिट्टी से है। मिट्टी काफी गहराई के साथ प्रकृति में अम्लीय है। पीएच मूल्य 5.5 है। समुद्र तल से ऊँचाई श्रेणी लगभग 350 - 1000 फीट तक है। अभयारण्य क्षेत्र आर्द्र क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें उच्च वृष्टिपात की विशेषता है। इस क्षेत्र में उच्च आर्द्रता और भारी वर्षा सदाबहार वनों की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। मार्च के महीने से वर्षा ऋतु आरंभ होती है। मई, जून, जुलाई और अगस्त के महीनों के दौरान भारी वर्षा होती है। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर वर्षा की मात्रा समतल हो जाती है। हालांकि, नवंबर, दिसंबर और जनवरी को छोड़कर हर महीने में कुछ मात्रा में बारिश होती है। 1999 में जेपोर में 3640 मिलीमीटर बारिश अभिलिखित की गई जो इस क्षेत्र में अब तक अभिलिखित की गई वर्षा की अधिकतम मात्रा है;

और, जैव-भौगोलिक रूप से, देहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य उत्तर-पूर्व ब्रह्मपुत्र घाटी प्रांत 9(ए) के अंतर्गत आता है, और भारत के सदाबहार वर्षा वन का एक महत्वपूर्ण भाग भी है। संरक्षित क्षेत्र में अत्यधिक अनुसंधान, मनोरंजनात्मक और शैक्षिक मूल्य हैं और वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र को संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है;

और, देहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमे इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहाँ गया है) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राज्य में देहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर शून्य किलोमीटर से 7.5 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को देहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.**-(1) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन का विस्तार देहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर शून्य किलोमीटर से 7.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 215.82 वर्ग किलोमीटर है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से शून्य किलोमीटर से 7.5 किलोमीटर तक है, जो अभयारण्य सीमा के आसपास के क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस की उपस्थिति के कारण है, और कई तेल कुओं और ड्रिलिंग स्थलों के अस्तित्व में है, भविष्य में वर्तमान और भावी ड्रिलिंग स्थल, जिसके मद्देनजर सुरक्षित तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और ड्रिलिंग के लिए एक सेट **उपाबंध-I** में निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, संरक्षित क्षेत्र का पूर्वी और दक्षिणी भाग अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है और अंतर-राज्य सीमा बनाता है।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध-II** के रूप में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के संरक्षित क्षेत्र का मानचित्र **उपाबंध-IIIक और उपाबंध-IIIख** में है।

(5) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन और संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची क्रमश: **उपाबंध- IV** में है।

(6) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत कोई ग्राम नहीं हैं।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी ।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण,
(ii) वन और वन्यजीव,
(iii) कृषि,
(iv) राजस्व,
(v) शहरी विकास,
(vi) पर्यटन,
(vii) ग्रामीण विकास,
(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण,
(ix) नगरपालिका,
(x) पंचायती राज,
(xi) लोक निर्माण विभाग,
(xii) राजमार्ग, और
(xiii) आसाम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा और प्रस्तावित भू- उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी दिया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास; और

(v) बढ़ावा दिए गए पैराग्राफ 4 में उल्लिखित क्रियाकलाप;

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा-उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.**- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान करके उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा करके इस रीति से बनाए जाऐंगे कि उसमें इन क्षेत्रों या इनके आसपास के क्षेत्रों के लिए हानिकारक विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध किया गया हो।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी ।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

तथापि, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा-संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/रिसोर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत.–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**– पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण**.- पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण साधारणों मानकों के अन्तर्गत पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों जो भी अधिक कठोर हो के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा-संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा-संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा-संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा-संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा-संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात.-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण.-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(18) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां ।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और तोड़ने की इकाईयों को व्यक्तिगत उपभोग के लिए मकानों के सन्ननिर्माण या मरम्मत के लिए और भूमि को खोदने या मकानों के लिए देसी टाइल्स या ईंटों के निर्माण के प्रतिनिर्देश से स्थानीय निवासियों के सदभाविक घरेलू आवश्यकताओं के सिवाए प्रतिषिद्ध किया जाएगा ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में किया जायेगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी: जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।

6.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
7.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
	ख.विनियमित क्रियाकलाप	
8.	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण को छोड़कर संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार अनुज्ञात होगी ।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु, स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी। परन्तु गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
10.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
12.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
13.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।

14.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
15.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
16.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
17.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
18.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
19.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
20.	होटल और रिसॉर्ट के मौजूदा परिसर की बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
21.	सुरक्षा बल शिविर/सेना की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
22.	नए काष्ठ आधारित उद्योग ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी : परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में 100% आयातित काष्ठ स्टाक उपभोग करने वाले नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना की जा सकेगी ।
23.	नदियों और प्राकृतिक जल निकायों में मत्स्य पालन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
24.	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए कनात, लकड़ी के घर आदि जैसे पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए पारिस्थितिक अनुकूल कुटी।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	कृषि प्रणाली का परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।

29.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
	ग.संवर्धित क्रियाकलाप	
30.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
32.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
33.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति- प्रभावी मानीटरी के लिए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा, एक मानीटरी समिति का इस अधिसूचना के अंतर्गत गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

क्र.सं.	**मानीटरी समिति का गठन**	**पद**
1.	आयुक्त, अपर असम जोन, जोरहाट	अध्यक्ष;
2.	उपायुक्त, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़	सदस्य;
3.	निदेशक, असम पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य;
4.	प्रभागीय वन अधिकारी, डिगबोई, डिब्रूगढ़ और डूमडोमा डिवीजन	सदस्य;
5.	परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ जिला	सदस्य;
6.	जिला मत्स्य पालन अधिकारी, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ जिले	सदस्य;
7.	मंडल अधिकारी, मृदा संरक्षण प्रभाग, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ जिले	सदस्य;
8.	वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता (क्षेत्रीय कार्यालय), प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ जिले	सदस्य;

9.	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य;
10.	राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
11.	पारिस्थितिकी और पर्यावरण में एक विशेषज्ञ जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य;
12.	राज्य लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
13.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
14.	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ जिले	सदस्य;
15.	जिला कृषि अधिकारी, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ जिले	सदस्य;
16.	प्रभागीय वन अधिकारी, डिगबोई वन प्रभाग	सदस्य सचिव।

6. विचारार्थ विषय.- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में शामिल क्रियाकलापों इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोडकर वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हें उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा जाएगा।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में शामिल न किए गए परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलापों की वास्तविक स्थल- विशिष्ठ दशाओं के आधार पर मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हे संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध -V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/32/2018-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

प्रयोक्ता एजेंसियों के लिए पारिस्थितिकी संवेदी जोन के चारों ओर तेल और प्राकृतिक गैस की सुरक्षित खोज एवं खुदाई के उपाय संबंधी दिशा निर्देश

1. संरक्षित क्षेत्र, अधिसूचित पारिस्थितिकी-संवेदी जोन क्षेत्र इंडो-बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत आने वाले किसी क्षेत्र और संरक्षित क्षेत्र के निकटवर्ती 10 किमी. क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अधिसूचित भारतीय पक्षी क्षेत्र (आईबीए) में जैवविविधता प्रभाव आकलन अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर के पर्यावरण और वन्यजीव पर्यावासों की सुरक्षा के लिए प्रतिष्ठित एजेंसियों के माध्यम से कराया जाना है, जिसमें महत्वपूर्ण स्थलीय और जलीय वनस्पतियों और जीवजन्तुओं को तथा गांगेय डॉल्फिन, एशियाई हाथी, बारहसिंघे, बाघ, तेंदुए, एशियाई वन्य भैंस, पूर्वी दलदल हिरण आदि जैसी प्रमुख प्रजातियों को शामिल किया जाएगा।

2. राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के परिसरों को उनके चारों ओर 10 फीट ऊंचे बेरिकेड लगाकर कवर किया जाना है और चेन लिंक बाड़/विद्युत बाड़ एवं स्थानीय फलदार पेड़ और अन्य स्थानीय वन प्रजातियों का रोपण करके बेरिकेड से 7.5 मीटर की परिधि में 'सुरक्षा क्षेत्र' बनाया जाना है ताकि वन्यजीवों की क्षति को रोका जा सके।

3. अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पारंपरिक वन वासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 या एफआरए, 2006 के तहत निर्धारित वन वासियों के अधिकारों की रक्षा की जानी है।

4. ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल)/ओएनजीसी या ऐसी अन्य प्रयोक्ता एजेन्सियों को राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के आसपास सभी तटवर्ती सुविधाओं के लिए तेल बिखराव जोखिम आकलन करना है और तेल बिखराव की दृष्टि से पर्याप्त रुप से खतरनाक पायी जाने वाली विद्यमान सुविधाओं में आवश्यक संशोधन करने या नई सुविधाओं की स्थापना करने के लिए योजना बनाना है।

5. पाइपलाइन सुविधाओं और दबाव सेंसर, रिमोट कंट्रोल्ड मोटराइज्ड वाल्व और पंप के लिए रिमोट शट ऑफ सुविधाएं जैसी सुविधाओं की स्थापना सहित अन्य सभी अपेक्षित मामलों में रिसाव का पता लगाने के लिए पर्यवेक्षी नियंत्रण तथा डाटा प्राप्ति प्रणाली (एससीएडीए) स्थापित की जानी है।

6. ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल)/ओएनजीसी या अन्य ऐसी प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा तेल बिखराव को रोकने सम्बन्धी आकस्मिक योजना और उसे बंद करने के लिए उपशमन उपायों संबंधी अनुमोदित मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) की एक प्रति भेजी जाती है।

7. अनुमोदित एसओपी के अनुसार, जैव-उपचार प्रौद्योगिकी/अन्य प्रणालियों के द्वारा स्थल को उसकी सामान्य स्थिति में लाने सहित अचानक हुए तेल बिखराव के कारण आसपास के वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को सीमित करने के लिए उचित उपाय अपनाए जाने हैं।

8. एसओपी में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार तेल बिखराव की घटनाओं से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए ऑपरेशन कर्मियों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाना है।

9. दुर्घटना/अन्य घटनाओं के कारण होने वाली पर्यावरणीय क्षति से बचने के लिए खुदाई के दौरान ब्लो प्रिवेंशन पद्धति (बीओपी) उत्पादन सुविधाओं में वाल्वों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है।

10. स्वचालित बंदी कारीवाइयां आरंभ करने के लिए सभी सुविधाओं में आपातकालीन बंदी प्रणाली की व्यवस्था होनी चाहिए।

11. गैस की गति को न्यूनतम किया जाना चाहिए और गैस की अपरिहार्य लपटों के लिए सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय पद्धतिया अपनायी जानी चाहिए ।

12. ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल)/ओएनजीसी या अन्य ऐसी प्रयोक्ता एजेन्सियों द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और असम वन विनियमन, 1891 में यथा निर्धारित सभी शर्तों का पालन किया जाना है।

13. ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल)/ओएनजीसी या अन्य ऐसी प्रयोक्ता एजेन्सियों द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में निर्धारित शर्तों का पालन किया जाना है।

14. सतही जल के संदूषण से बचने के लिए एहतियाती उपाय किये जाने हैं ।

15. संवेदी क्षेत्रों में ध्वनि स्तर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा तक सीमित किया जाना है।

16. आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए अग्निशमन व्यवस्था 24x7 आधार पर होनी चाहिए।

17. क्षेत्र के चारों ओर दैनिक ई एवं पी क्रियाकलापों के बारे में स्थानीय वनपालकों/डीएफओ के साथ नियमित बातचीत की जानी चाहिए।

18. अधिसूचित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की स्थानीय निगरानी समिति के निर्देशों का पालन किया जाएगा।

19. इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन संबंधी सम्पूर्ण व्यय का निवर्हन ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल)/ओएनजीसी या अन्य ऐसी प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा किया जाना है।

उपाबंध- II

संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

जीपीएस बिंदु सं. 1 (95° 30' 46.189" पू और 27° 19' 29.552" उ) से सीमा जीपीएस बिंदु सं. 2, 3 और 4 को पार करके जाती है यह जीपीएस बिंदु सं. 5 (95° 27' 51.769" पू और 27° 18' 28.180" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 5 से सीमा देहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य के साथ जाती है यह जीपीएस बिंदु सं. 6 (95° 26' 46.028" पू और 27° 17' 39.594" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 6 से सीमा जीपीएस बिंदु सं. 7, 8,9,10 को पार करके जाती है और यह जीपीएस बिंदु सं. 12 (95° 25' 21.914" पू और 27° 16' 34.074" उ) से मिलती है जीपीएस बिंदु सं. 12 से सीमा जीपीएस बिंदु सं. 13 को पार करके पादगिरि के साथ जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 14 (95° 24' 52.649" पू और 27° 15' 11.767" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 14 से सीमा बुरही देहिंग नदी को पार करके जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 15 (95° 24' 42.614" पू और 27° 15' 1.878" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 15 से सीमा सड़क के साथ जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 16 (95° 24' 44.692" पू और 27° 14' 56.186" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 16 से सीमा जीपीएस बिंदु सं. 17 को पार करके वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ जाती है यह जीपीएस बिंदु सं. 18 (95° 24' 22.738" पू और 27° 13' 49.630" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 18 से सीमा सड़क के साथ जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 19 (95° 24' 1.099" पू और 27° 13' 24.328" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 19 से सीमा जीपीएस बिंदु सं. 20, 21,22,23,24 को पार करके रिज़ रेखा के साथ जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 25 (95° 22' 21.503" पू और 27° 6' 50.042" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 25 से सीमा जीपीएस बिंदु सं. 26 को पार करके डील्ली नदी के साथ जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 27 (95° 22' 30.106" पू और 27° 5' 36.228" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 27 से सीमा जीपीएस बिंदु सं. 28, 29, 30,31,32,33 को पार करके असम-नागालैण्ड अन्तरराज्यीय सीमा के साथ जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 34 (95° 26' 23.604" पू और 27° 7' 40.216" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 34 से सीमा जीपीएस बिंदु सं. 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 को पार करके सीमा के साथ साथ असम-नागालैण्ड अन्तरराज्यीय सीमा के साथ पुनः जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 51 (95° 28' 43.024" पू और 27° 14' 4.924" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 51 से सीमा जीपीएस बिंदु सं. 52, 53,54,55,56,57,58,59 को पार करके वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 60 (95° 29' 7.838" पू और 27° 14' 32.556" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 60 से सीमा जीपीएस बिंदु सं. 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76 को पार करके वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ-साथ पुनः असम-नागालैण्ड अन्तरराज्यीय सीमा के साथ जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 77 (95° 37' 11.184" पू और 27° 14' 1.346" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 77 से सीमा जीपीएस बिंदु सं. 78 को पार करके असम-नागालैण्ड अन्तरराज्यीय सीमा के साथ जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 79 (95° 39' 9.395" पू और 27° 14' 16.360" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 79 से सीमा जीपीएस बिंदु सं. 80, 81, 82 को पार करके दिराक रिज़र्व वन सीमा के साथ जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 83 (95° 36' 59.869" पू और 27° 15'

12.577" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 83 से सीमा जीपीएस बिंदु सं. 84, 85 को पार करके वन्यजीव अभयारण्य सीमा के साथ जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 86 (95° 33' 46.325" पू और 27° 17' 3.489" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 86 से सीमा जीपीएस बिंदु सं. 87, 88 को पार करके ऊपरी देहिंग पश्चिम खण्ड रिज़र्व वन के साथ जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 89 (95° 34' 25.508" पू और 27° 18' 16.129" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 89 से सीमा जीपीएस बिंदु सं. 90,91 को पार करके जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 1 (95° 30' 46.189" पू और 27° 19' 29.552"उ) से मिलती है।

उपाबंध- IIIक

देहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र

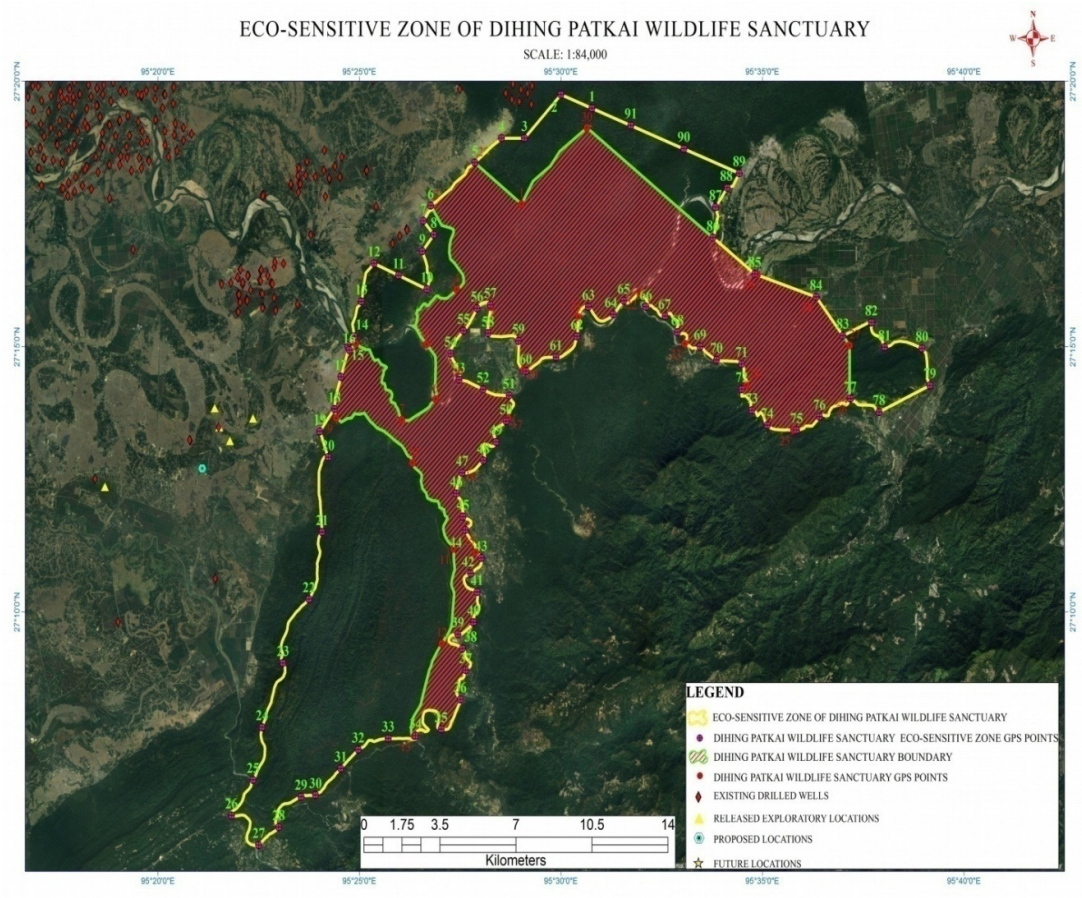

उपाबंध- IIIख

देहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र

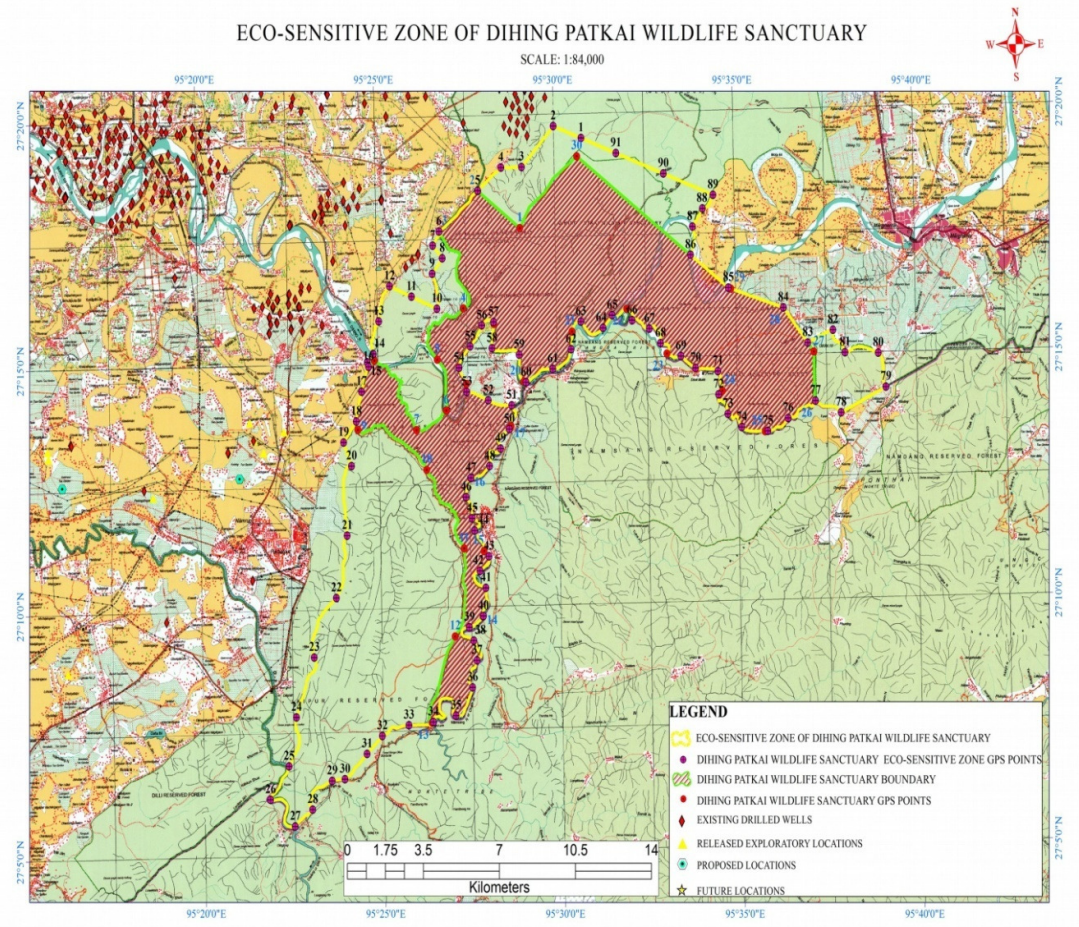

उपाबंध-IV

सारणी क: देहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य, असम के प्रमुख स्थानों के अक्षांश-देशांतर

जीपीएस बिंदु	देशांतर	अक्षांश
1	95° 29' 1.418" पू	27° 17' 41.489" उ
2	95° 27' 52.126" पू	27° 18' 27.881" उ
3	95° 26' 46.028" पू	27° 17' 39.594" उ
4	95° 27' 24.663" पू	27° 16' 5.046" उ
5	95° 26' 39.835" पू	27° 15' 2.990" उ
6	95° 26' 53.499" पू	27° 14' 0.836" उ
7	95° 26' 3.356" पू	27° 13' 37.759" उ
8	95° 24' 54.649" पू	27° 15' 3.766" उ

9	95° 24' 25.020" पू	27° 13' 39.598" उ
10	95° 26' 19.166" पू	27° 12' 48.720" उ
11	95° 27' 19.632" पू	27° 11' 11.641" उ
12	95° 27' 2.348" पू	27° 9' 24.408" उ
13	95° 26' 21.641" पू	27° 7' 39.468" उ
14	95° 27' 49.680" पू	27° 9' 47.864" उ
15	95° 27' 53.053" पू	27° 11' 7.940" उ
16	95° 27' 32.457" पू	27° 12' 37.445" उ
17	95° 28' 41.461" पू	27° 13' 39.680" उ
18	95° 27' 28.112" पू	27° 14' 32.594" उ
19	95° 28' 15.324" पू	27° 15' 44.987" उ
20	95° 29' 4.043" पू	27° 14' 33.783" उ
21	95° 30' 25.870" पू	27° 15' 33.511" उ
22	95° 31' 57.948" पू	27° 15' 59.712" उ
23	95° 33' 3.964" पू	27° 15' 3.766" उ
24	95° 34' 35.726" पू	27° 14' 16.680" उ
25	95° 35' 46.457" पू	27° 13' 25.623" उ
26	95° 37' 11.184" पू	27° 14' 1.346" उ
27	95° 37' 9.769" पू	27° 15' 1.679" उ
28	95° 36' 20.110" पू	27° 15' 56.341" उ
29	95° 34' 52.433" पू	27° 16' 21.307" उ
30	95° 30' 38.519" पू	27° 19' 7.625" उ

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख स्थानों के अक्षांश-देशांतर

जीपीएस बिंदु	**देशांतर**	**अक्षांश**
1	1 95° 30' 46.189" पू	27° 19' 29.552" उ
2	2 95° 29' 59.927" पू	27° 19' 45.024" उ
3	3 95° 29' 5.773" पू	27° 18' 55.784" उ
4	4 95° 28' 31.501" पू	27° 18' 55.877" उ
5	5 95° 27' 51.769" पू	27° 18' 28.180" उ
6	6 95° 26' 46.028" पू	27° 17' 39.594" उ
7	7 95° 26' 35.123" पू	27° 17' 22.377" उ
8	8 95° 26' 50.729" पू	27° 17' 6.712" उ
9	9 95° 26' 33.522" पू	27° 16' 48.030" उ
10	10 95° 26' 40.506" पू	27° 16' 5.149" उ
11	11 95° 25' 58.242" पू	27° 16' 20.706" उ

12	12 95° 25' 21.914" पू	27° 16' 34.074" उ
13	13 95° 25' 2.874" पू	27° 15' 51.261" उ
14	14 95° 24' 52.649" पू	27° 15' 11.767" उ
15	15 95° 24' 42.614" पू	27° 15' 1.878" उ
16	16 95° 24' 44.692" पू	27° 14' 56.186" उ
17	17 95° 24' 32.335" पू	27° 14' 25.979" उ
18	18 95° 24' 22.738" पू	27° 13' 49.630" उ
19	19 95° 24' 1.099" पू	27° 13' 24.328" उ
20	20 95° 24' 13.476" पू	27° 12' 55.194" उ
21	21 95° 24' 4.427" पू	27° 11' 30.449" उ
22	22 95° 23' 44.711" पू	27° 10' 14.406" उ
23	23 95° 23' 6.221" पू	27° 9' 2.252" उ
24	24 95° 22' 35.012" पू	27° 7' 49.481" उ
25	25 95° 22' 21.503" पू	27° 6' 50.042" उ
26	26 95° 21' 49.508" पू	27° 6' 9.609" उ
27	27 95° 22' 30.106" पू	27° 5' 36.228" उ
28	28 95° 22' 59.656" पू	27° 5' 56.445" उ
29	29 95° 23' 33.104" पू	27° 6' 30.909" उ
30	30 95° 23' 54.596" पू	27° 6' 32.679" उ
31	31 95° 24' 32.078" पू	27° 7' 2.935" उ
32	32 95° 24' 58.051" पू	27° 7' 24.445" उ
33	33 95° 25' 42.741" पू	27° 7' 36.914" उ
34	34 95° 26' 23.604" पू	27° 7' 40.216" उ
35	35 95° 27' 1.696" पू	27° 7' 47.220" उ
36	36 95° 27' 30.225" पू	27° 8' 21.187" उ
37	37 95° 27' 38.250" पू	27° 8' 54.194" उ
38	38 95° 27' 33.510" पू	27° 9' 18.518" उ
39	39 95° 27' 26.420" पू	27° 9' 34.817" उ
40	40 95° 27' 50.022" पू	27° 9' 48.270" उ
41	41 95° 27' 55.113" पू	27° 10' 22.648" उ
42	42 95° 27' 45.634" पू	27° 10' 43.531" उ
43	43 95° 28' 1.172" पू	27° 11' 1.051" उ
44	44 95° 27' 38.074" पू	27° 11' 32.857" उ
45	45 95° 27' 34.032" पू	27° 11' 47.865" उ
46	46 95° 27' 24.321" पू	27° 12' 14.024" उ
47	47 95° 27' 33.049" पू	27° 12' 37.495" उ

48	48 95° 28' 4.513" पू	27° 12' 51.516" उ
49	49 95° 28' 23.408" पू	27° 13' 12.341" उ
50	50 95° 28' 38.361" पू	27° 13' 35.882" उ
51	51 95° 28' 43.024" पू	27° 14' 4.924" उ
52	52 95° 28' 4.065" पू	27° 14' 11.796" उ
53	53 95° 27' 28.262" पू	27° 14' 22.707" उ
54	54 95° 27' 16.009" पू	27° 14' 52.248" उ
55	55 95° 27' 35.146" पू	27° 15' 18.139" उ
56	56 95° 27' 55.116" पू	27° 15' 43.521" उ
57	57 95° 28' 14.871" पू	27° 15' 47.236" उ
58	58 95° 28' 11.484" पू	27° 15' 15.223" उ
59	59 95° 28' 56.764" पू	27° 15' 6.679" उ
60	60 95° 29' 7.838" पू	27° 14' 32.556" उ
61	61 95° 29' 52.854" पू	27° 14' 48.275" उ
62	62 95° 30' 23.928" पू	27° 15' 11.682" उ
63	63 95° 30' 41.007" पू	27° 15' 45.185" उ
64	64 95° 31' 17.908" पू	27° 15' 36.776" उ
65	65 95° 31' 33.609" पू	27° 15' 52.047" उ
66	66 95° 32' 6.603" पू	27° 15' 45.373" उ
67	67 95° 32' 35.352" पू	27° 15' 34.568" उ
68	68 95° 32' 53.517" पू	27° 15' 16.464" उ
69	69 95° 33' 27.308" पू	27° 15' 0.064" उ
70	70 95° 33' 51.691" पू	27° 14' 45.119" उ
71	71 95° 34' 28.835" पू	27° 14' 40.439" उ
72	72 95° 34' 29.344" पू	27° 14' 12.053" उ
73	73 95° 34' 44.319" पू	27° 13' 48.025" उ
74	74 95° 35' 7.277" पू	27° 13' 31.370" उ
75	75 95° 35' 50.820" पू	27° 13' 25.899" उ
76	76 95° 36' 24.931" पू	27° 13' 40.930" उ
77	77 95° 37' 11.184" पू	27° 14' 1.346" उ
78	78 95° 37' 53.751" पू	27° 13' 46.262" उ
79	79 95° 39' 9.395" पू	27° 14' 16.360" उ
80	80 95° 38' 57.516" पू	27° 14' 58.022" उ
81	81 95° 38' 1.985" पू	27° 14' 59.574" उ
82	82 95° 37' 42.403" पू	27° 15' 27.427" उ
83	83 95° 36' 59.869" पू	27° 15' 12.577" उ

84	84 95° 36' 20.110" पू	27° 15' 56.341" उ
85	85 95° 34' 48.766" पू	27° 16' 22.351" उ
86	86 95° 33' 46.325" पू	27° 17' 3.489" उ
87	87 95° 33' 50.184" पू	27° 17' 37.952" उ
88	88 95° 34' 7.551" पू	27° 17' 59.823" उ
89	89 95° 34' 25.508" पू	27° 18' 16.129" उ
90	90 95° 33' 3.006" पू	27° 18' 43.762" उ
91	91 95° 31' 44.108" पू	27° 19' 10.173" उ

उपाबंध-V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की मानीटरी समिति-की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार(पारिस्थितिकी-संवेदी जोन वार)। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार।(विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2019

S.O. 1915(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, Dehing Patkai Wildlife Sanctuary (WLS) located at Dibrugarh and Tinsukia Civil Districts, Assam was declared on 19th June, 2004 *vide* no. FRW.34/2003/Pt/6; consisting of part of the existing Reserved Forests covering 87.12 square kilometers area of Digboi Division and 24.07 square kilometers of Dibrugarh Division totaling 111.19 square kilometers consisting of parts of Upper Dehing (West Block) Reserved Forest having an area of 56.6950 square kilometers, Dirok Reserved Forest having an area of 30.4255 square kilometers in Digboi Division and parts of Jeypur Reserved Forest having an area of 24.07 square kilometers in Dibrugarh Division. The Dirok River runs from the Southern part of the Dirok Reserved Forest and the Buridehing River runs between the Upper Dehing (West Block) Reserved Forest and Jeypore Reserved Forest;

AND WHEREAS, the Dehing Patkai Wildlife Sanctuary is one of the prime habitats of primates, elephants and a few critically endangered species of animals and birds. The flagship species of the Dehing Patkai Wildlife Sanctuary is Hoolock gibbon *(Bimopethicus hoolock hoolock),* the only Western ape found in India, being a Schedule-I species of Wild Life (Protection) Act 1972 and also Appendix-1 of Endangered Species under Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973. The Wildlife Sanctuaries is also the prime habitat of Asiatic Elephant having an estimated population of 204 in 2011, and is connected with the Upper Dehing Reserved Forest (West Block) on the North and Jeypore Reserved Forest on the South in Assam. Also, forests of Arunachal Pradesh on the South East border maintain the connectivity of the forests and serve as an important corridor. The elephants and other wild animals like tiger etc. migrate to the forests under Digboi Forest Division from the forests of Arunachal Pradesh mostly through this Sanctuary. This is considered to be one of the vital corridors of Asian elephant in the region;

AND WHEREAS, a total of 43 mammals have been recorded here; 17 carnivore species have been camera-trapped in the Dehing Patkai Wild Life Sanctuary and in the adjoining forests, the highest of any site in India. It is the first site in the world where photographs have confirmed 7 species of cats coexisting within one landscape. The five endangered mammal species in this landscape are the tiger, wild dog, elephant, hoolock gibbon and Gangetic dolphin; the endangered birds are the long-billed vulture (Critically endangered), white winged wood-duck and Greater Adjutant Stork. The globally critically endangered tree species *Vatica lanceaefolia* (Morhal) is among the plants of conservation importance;

AND WHEREAS, some of the common birds found in the forests are the Great White Billed Heron, Lesser Adjutant Stork, White Winged Wood Duck, Slender Billed Vulture, and White Cheeked Hill Partridge. Primate census carried out during 2009 recorded 2359 nos. of primate. This includes 256 nos. of Hoolock gibbon under the Digboi Forest Division. Moreover, it is a breeding ground of different species of reptiles and invertebrates. The Dehing Patkai Wildlife Sanctuary is classified as Assam Valley Tropical wet evergreen Forests. The evergreen forest cover has helped the primates for their livelihood. The protected area is significant for three tier tree canopy. The top canopy is formed by *Dipterocarpus retusus* and *Shorea assamica* forests. The middle storey is dominated by *Messua ferrea* and *Vatica lanceafolia*. Other species found in this canopy are *Terminalia chebula*, *Syzigium cuminii*, *Sapium baccatum*, *Dysoxylum binectariferum*, *Terminalia belerica,* etc. The undergrowth comprises of woody shrubs like *Myrsine capitellata, Osbeckia* spp. *Laportea crenulata,* Shrubs like *Phrynium placentarim, Alpinia allughas,* etc are also found. Climbers are numerous and found profusely. Common among them are *Thumbergia grandiflora,* Bauhinia *vahlii* etc.;

AND WHEREAS, the protected area is located in the Digboi region in the foothills of Patkai Range and consists of upper tertiary rocks with Tipam sand stone which is characterized by oil and coal deposits. The alluvial deposits of the Dehing River are characterized by its coarse nature, reddish colour, sandy clay. The soil is acidic in nature with considerable depth. The pH value is 5.5. The altitude ranges from about 350 - 1000 ft. above mean sea level. The Sanctuary area falls under humid zone, which is characterized by high precipitation. High humidity and heavy rainfall are significant features of evergreen forests in this region. Rainy season starts from the month of March. Heavy down pour takes place during the months of May, June, July and August. The amount of rainfall flattens toward the end of the rainy season. Although, there are some amount of rain practically in every month except November, December and January. 3640 millimeters of rain was recorded at Jeypore in 1999 which is the maximum quantity of rainfall recorded so far in this region;

AND WHEREAS, Bio-geographically, the Dehing Patkai Wildlife Sanctuary falls under the North-East Brahmaputra valley provinces 9 (A), and constitutes an important part of the Evergreen Rain Forests of

India. The protected area is having immense research, recreational and educational values and it is necessary to conserve and protect the area surrounding the Wildlife Sanctuary;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the areas, the extent and boundaries of Dehing Patkai Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent varying from Zero kilometer to 7.5 kilometers around the boundary of Dehing Patkai Sanctuary in the State of Assam as the Dehing Patkai Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. - (1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from Zero kilometer to 7.5 kilometers around the Dehing Patkai Sanctuary. The area of the Eco-sensitive Zone is 215.82 square kilometers.

(2) The extent of the Eco-sensitive Zone ranges from Zero kilometers to 7.5 kilometers from the boundary of the Wildlife sanctuary due to the presence of oil and natural gas in the immediate vicinity of the sanctuary boundary, and existence of many oil wells and drilling sites in the present and prospective drilling sites in the future, in view of which a set of measures for safe oil and natural gas exploration and drilling have been prescribed in **Annexure-I.** Additionally, the eastern and southern part of the protected area is adjoining Arunachal Pradesh and makes the inter-state boundary.

(3) The boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended at **Annexure-II.**

(4) The map of the Protected Area demarcating the Eco-sensitive Zone boundary is at **Annexure-IIIA and Annexure-IIIB.**

(5) List of geo co-ordinates of the boundary of the Protected Area and the Eco-sensitive Zone is at **Annexure-IV**.

(6) There are no villages falling within the Eco-sensitive Zone.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone. – (1) The State Government shall, for the purposes of effective management of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following of the State Government Departments, for integrating environmental and ecological considerations into the said plan:-

(i) Environment,
(ii) Forest and Wildlife,
(iii) Agriculture,
(iv) Revenue,
(v) Urban Development,
(vi) Tourism,
(vii) Rural Development,
(viii) Irrigation and Flood Control,
(ix) Municipal,
(x) Panchayati Raj
(xi) Public Works Department,
(xii) Highways, and

(xiii) Assam State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forest, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in table and also ensure and promote eco-friendly development for the security of local communities livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use. – (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), above within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities;

(2) Natural water bodies. - The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be

drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism. - (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forest.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within 1 kilometer from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of 1 kilometer from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural Heritage. - All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites. - Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution. - Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents. - Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes. - Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) The solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste. - Bio Medical Waste Management shall be as under:-

(a) The bio medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-Medical Waste Management in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management. - The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340 (E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and demolition waste management. - The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317 (E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste. - The E-waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution. - Prevention and control of Vehicular Pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts to be made for use of cleaner fuel.

(16) Industrial units.- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the Guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes: The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) Construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl.No.	Activity	Description
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities: (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August 2008 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P. (C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P. (C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted. So specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
7.	Setting up of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
	B. Regulated Activities	
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or up to the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area or up to extent of the Eco-sensitive Zone whoever is nearer:

		Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building by e-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b)Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non -hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro based industry production products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
12.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated as per the applicable laws.
13.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws. Underground cabling may be promoted.
14.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation, as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
15.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
16.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
17.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
18.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per the applicable laws.
19.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable law.
20.	Fencing of existing premises of hotels and resorts.	Regulated as per the applicable law.
21.	Security forces camp/ army establishment.	Regulated as per the applicable law.

22.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided that new wood based industry may be set up in the Eco-sensitive using 100% imported wood stock.
23.	Fishing in rivers and natural water bodies.	Regulated under applicable law.
24.	Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities.	Regulated as per the applicable law.
25.	Change of agriculture system.	Regulated as per the applicable law.
26.	Solid Waste Management.	Regulated as per the applicable law.
27.	Introduction of Exotic species.	Regulated as per the applicable law.
28.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable law.
29.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable law.
	C. Promoted Activities	
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
32.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities	Shall be actively promoted.
35.	Cottage industries including village artisans, etc .	Shall be actively promoted.
36.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc to be actively promoted.
37.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee. - For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee comprising of the following, namely:-

Sl.No.	**Constituent of Monitoring Committee**	**Designation**
1.	Commissioner, Upper Assam Zone, Jorhat	Chairman;
2.	Deputy Commissioner, Tinsukia and Dibrugarh	Member;
3.	Representative of the Director, Assam Tourism Department	Member;
4.	Divisional Forest Officer, Digboi, Dibrugarh and Doomdooma Divisions	Member;

5.	Project Director District Rural Development Agency, Tinsukia and Dibrugarh Districts	Member;
6.	District Fishery Officer, Tinsukia and Dibrugarh Districts	Member;
7.	Divisional Officer, Soil Conservation Division,Tinsukia and Dibrugarh Districts	Member;
8.	Senior Environmnet Engineer (Regional Office), Pollution Control Board, Tinsukia and Dibrugarh Districts	Member;
9.	A representative of Non-government Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by State Government	Member;
10.	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
11.	An expert in Ecology and Environment to be nominated by the State Government	Member;
12.	A representative from State Public Works Department	Member;
13.	A representative from State Pollution Control Board	Member;
14.	General Manager, District Industries Centre, Tinsukia and Dibrugarh Districts	Member;
15.	District Agriculture Officer, Tinsukia and Dibrugarh Districts	Member;
16.	Divisional Forest Officer, Digboi Forest Division	Member-Secretary.

6. Terms of Reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per Performa given in **Annexure V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/32/2018-ESZ]

Dr. SATISH. C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

MEASURES FOR SAFE OIL AND NATURAL GAS EXPLORATION AND DRILLING IN AND AROUND ESZ- GUIDELINES FOR USER AGENCIES

1. Biodiversity Impact Assessment study to be conducted around the Protected Area, the notified Eco-sensitive Zone area, and any area falling in Indo-Burma Biodiversity Hotspot and Notified Indian Bird Area (IBA) in the 10 kilometer vicinity of the Protected Area. The study has to be undertaken through agencies of repute safe guard the environment and the wildlife habitats around the Protected Area, covering important flora and fauna, terrestrial as well as aquatic and also covering flagship species such as Gangetic Dolphin, Asiatic Elephant, Rhino, Tiger, Leopard, Asiatic Wild Buffalo, Eastern Swamp Deer, etc.
2. Operating Well plinths in the vicinity of the National Park and Wildlife Sanctuaries are to be covered with 10 ft high barricade around them and 'Safety Zone' to be created at radius of 7.5 meter from the barricade by providing Chain Link Fencing/ Power fencing and indigenous fruit trees and others local forest species to be planted in the aid area, in order to prevent injuries to wildlife.
3. Rights of forests dwellers to be protected as prescribed under Schedule Tribes and Other Traditional Forest and Dwellers (Recognition of Forest Rights) Acts, 2006 or FRA, 2006.
4. Oil India Limited (OIL)/ ONCG or other such user agencies to have to conduct Oil Spill Risk Assessment for all onshore facilities around the National Park and Wildlife Sanctuary and plan for necessary modification of existing facilities or installation of new facilities which are found to be potentially hazard to Oil spills.
5. Supervisory Control and Data Acquisition System (SCADA) to be installed for leak detection of the Pipeline facilities and all other required cases including installing of facilities like sensors, Remote Controlled Motorised calves and Remote Shut Off facilities for pumps etc.
6. Oil Limited Only (OIL)/ ONGC or other such user agencies to submit a copy of approved Standard Operating Procedure (SOP) for restricting Oil Spillage Contingency Plan and mitigation measures for arrest the same.
7. Appropriate measures to be adopted to restrict impacts or surroundings due to accidental Oil Spillages including restoration of sight to its normalcy with Bio-remediation technology/others, as per approved SOP.
8. Operation personnel are to be trained adequately for effective handling of Oil Spill incidents as per guidelines specified in SOP.
9. Erection of Blow Prevention System (BOP) during drilling phase and valves in Production facilities to be ensured in order to avoid environmental damages due to accident/ other incidents.
10. An emergency shutdown system should be in place in all facilities to initiate automatic shutdown actions.
11. Gas flaring has to be minimized and best international practices to be adopted for flaring of gases which are un-avoidable.
12. Oil India Limited (OIL)/ ONGC or other such user agencies have to comply with all stipulated conditions as framed under Environmental Impact Assessment Notification, 2006, Forest (Conservation) Act, 1980. Wildlife (Protection) Act, 1972 and the Assam Forest Regulation, 1891.

13. Oil India Limited (OIL) /ONGC or other such user agencies have to strictly comply with the conditions stipulated in Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.
14. Precautionary measures to be taken to avoid contamination of surface water.
15. Noise levels for sensitive areas to be restricted to limit as prescribed by the State Pollution Control Board.
16. Fire Fighting arrangements are to be kept standby on 24x7 basis to meet the eventualities I case so arises.
17. Regular interaction to be established with local Rangers/ DFOs for day to day E&P activities around the area.
18. The directions of the local Monitoring Committee of the notified the Eco-sensitive Zone shall be adhered to.
19. All expenses in the implementation of these Guidelines to be borne by the Oil India Limited (OIL)/ ONGC or other such user agencies.

ANNEXURE- II

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA

From GPS Point No. 1 (95° 30' 46.189" E and 27° 19' 29.552" N) the boundary runs crossing the GPS Point No.2, 3 and 4 till it meets the GPS Point No. 5 (95° 27' 51.769" E and 27° 18' 28.180" N). From GPS Points No.5 the boundary runs along the Dehing Patkai WLS boundary till it meets the GPS Points No.6 (95° 26' 46.028" E and 27° 17' 39.594" N). From GPS Points No.6 the boundary runs crossing GPS Point No. 7, 8, 9, 10 and till it meets the GPS Point No.12 (95° 25' 21.914" E and 27° 16' 34.074" N). From GPS Points No.12 the boundary runs along the foothills crossing GPS Point No. 13 and meets the GPS Points No.14 (95° 24' 52.649" E and 27° 15' 11.767" N). From GPS Points No.14 the boundary crosses the Burhi Dehing river and meets GPS Point No.15 (95° 24' 42.614" E and 27° 15' 1.878" N). From GPS Point No. 15 the boundary runs along the road and meets GPS Point No.16 (95° 24' 44.692" E and 27° 14' 56.186" N). From GPS Point No. 16 the boundary runs along the WLS boundary crossing GPS Point No. 17 till it meets the GPS point No.18 (95° 24' 22.738" E and 27° 13' 49.630" N). From GPS Point No. 18 the boundary runs along the road and meets GPS Point No.19 (95° 24' 1.099" E and 27° 13' 24.328" N). From GPS Point No. 19 the boundary runs along the ridgeline crossing GPS Point No. 20, 21, 22, 23, 24 and meets the GPS Point No.25 (95° 22' 21.503" E and 27° 6' 50.042" N). From GPS Point No. 25 the boundary runs along the Dilli river crossing GPS Point No.26 and meets GPS Point No. 27 (95° 22' 30.106" E and 27° 5' 36.228" N). From GPS Point No.27 the boundary runs along the Assam – Nagaland Inter State boundary crossing the GPS Point No. 28, 29, 30, 31, 32, 33 and meets GPS Point No.34 (95° 26' 23.604" E and 27° 7' 40.216" N). From GPS Point No.34 the boundary again runs along the Assam Nagaland Inter State Boundary as well as boundary crossing the GPS Point No. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 and meets GPS Point No.51 (95° 28' 43.024" E and 27° 14' 4.924" N). From GPS Point No. 51 the boundary runs along the WLS boundary crossing the GPS point No.52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 and meets GPS Point No. 60 (95° 29' 7.838" E and 27° 14' 32.556" N). From GPS Point No. 60 the boundary again runs along the Assam Nagaland Inter State Boundary as well as WLS boundary crossing the GPS Point No. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 and meets GPS Point No.77 (95° 37' 11.184" E and 27° 14' 1.346" N). From GPS Point No. 77 the boundary runs along Assam Nagaland Inter State Boundary crossing the GPS Point No. 78 and meets GPS Point No.79 (95° 39' 9.395" E and 27° 14' 16.360" N). From GPS Point No. 79 the boundary runs along the Dirak Reserved Rorest boundary crossing the GPS Point No. 80, 81, 82 and meets GPS Point No.83 (95° 36' 59.869" E and 27° 15' 12.577" N). From GPS Point No. 83 the boundary runs along the WLS boundary crossing the GPS Point No. 84, 85 and meets GPS Point No.86 (95° 33' 46.325" E and 27° 17' 3.489" N). From GPS point No. 86 the boundary runs along the Upper Dehing West Block Reserved Forest crossing GPS Point No. 87, 88 and meets GPS point No.89 (95° 34' 25.508" E and 27° 18' 16.129" N). From GPS Point No. 89 the boundary runs crossing the GPS Point No.90, 91 and meets GPS Point No.1 (95° 30' 46.189" E and 27° 19' 29.552" N)

ANNEXURE-IIIA

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF DEHING PATKAI SANCTUARY

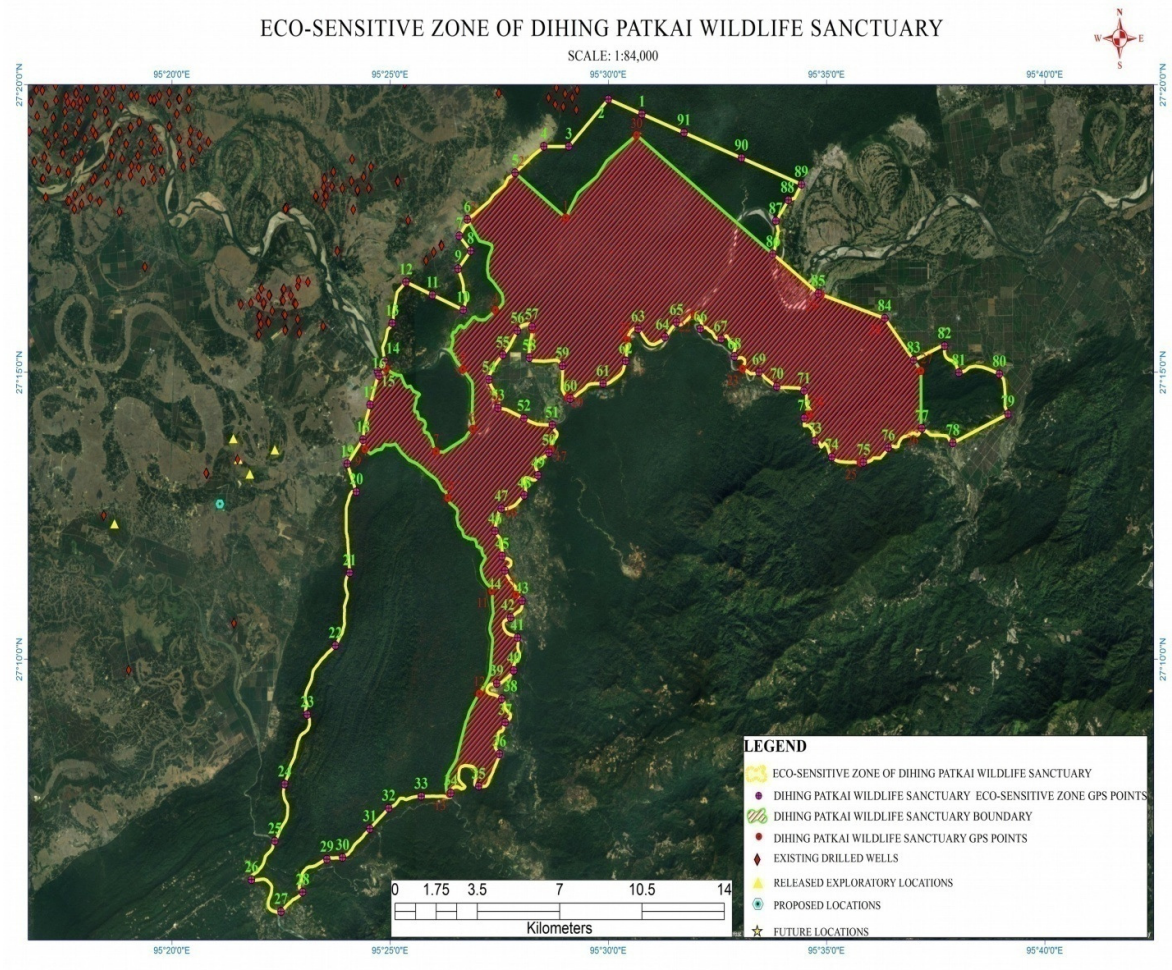

ANNEXURE-IIIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF DEHING PATKAI SANCTUARY

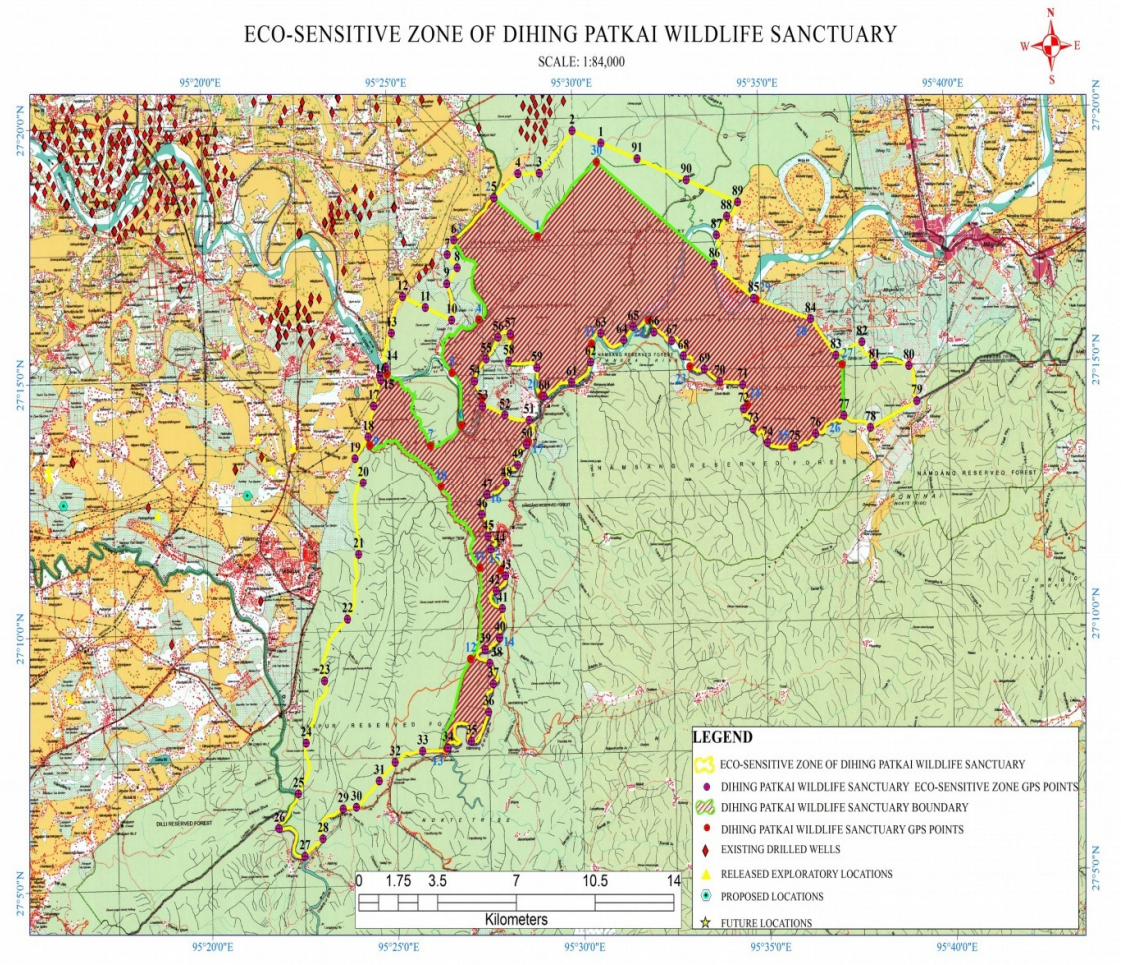

ANNEXURE-IV

TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Dehing Patkai Sanctuary, Assam

GPS POINTS	LONGITUDE	LATITUDE
1	95° 29' 1.418" E	27° 17' 41.489" N
2	95° 27' 52.126" E	27° 18' 27.881" N
3	95° 26' 46.028" E	27° 17' 39.594" N
4	95° 27' 24.663" E	27° 16' 5.046" N
5	95° 26' 39.835" E	27° 15' 2.990" N
6	95° 26' 53.499" E	27° 14' 0.836" N
7	95° 26' 3.356" E	27° 13' 37.759" N
8	95° 24' 54.649" E	27° 15' 3.766" N
9	95° 24' 25.020" E	27° 13' 39.598" N
10	95° 26' 19.166" E	27° 12' 48.720" N

11	95° 27' 19.632" E	27° 11' 11.641" N
12	95° 27' 2.348" E	27° 9' 24.408" N
13	95° 26' 21.641" E	27° 7' 39.468" N
14	95° 27' 49.680" E	27° 9' 47.864" N
15	95° 27' 53.053" E	27° 11' 7.940" N
16	95° 27' 32.457" E	27° 12' 37.445" N
17	95° 28' 41.461" E	27° 13' 39.680" N
18	95° 27' 28.112" E	27° 14' 32.594" N
19	95° 28' 15.324" E	27° 15' 44.987" N
20	95° 29' 4.043" E	27° 14' 33.783" N
21	95° 30' 25.870" E	27° 15' 33.511" N
22	95° 31' 57.948" E	27° 15' 59.712" N
23	95° 33' 3.964" E	27° 15' 3.766" N
24	95° 34' 35.726" E	27° 14' 16.680" N
25	95° 35' 46.457" E	27° 13' 25.623" N
26	95° 37' 11.184" E	27° 14' 1.346" N
27	95° 37' 9.769" E	27° 15' 1.679" N
28	95° 36' 20.110" E	27° 15' 56.341" N
29	95° 34' 52.433" E	27° 16' 21.307" N
30	95° 30' 38.519" E	27° 19' 7.625" N

TABLE B: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Eco-sensitive Zone

GPS POINTS	LONGITUDE	LATITUDE
1	1 95° 30' 46.189" E	27° 19' 29.552" N
2	2 95° 29' 59.927" E	27° 19' 45.024" N
3	3 95° 29' 5.773" E	27° 18' 55.784" N
4	4 95° 28' 31.501" E	27° 18' 55.877" N
5	5 95° 27' 51.769" E	27° 18' 28.180" N
6	6 95° 26' 46.028" E	27° 17' 39.594" N
7	7 95° 26' 35.123" E	27° 17' 22.377" N
8	8 95° 26' 50.729" E	27° 17' 6.712" N
9	9 95° 26' 33.522" E	27° 16' 48.030" N
10	10 95° 26' 40.506" E	27° 16' 5.149" N
11	11 95° 25' 58.242" E	27° 16' 20.706" N
12	12 95° 25' 21.914" E	27° 16' 34.074" N
13	13 95° 25' 2.874" E	27° 15' 51.261" N
14	14 95° 24' 52.649" E	27° 15' 11.767" N
15	15 95° 24' 42.614" E	27° 15' 1.878" N
16	16 95° 24' 44.692" E	27° 14' 56.186" N
17	17 95° 24' 32.335" E	27° 14' 25.979" N
18	18 95° 24' 22.738" E	27° 13' 49.630" N
19	19 95° 24' 1.099" E	27° 13' 24.328" N
20	20 95° 24' 13.476" E	27° 12' 55.194" N
21	21 95° 24' 4.427" E	27° 11' 30.449" N

22	22 95° 23' 44.711" E	27° 10' 14.406" N
23	23 95° 23' 6.221" E	27° 9' 2.252" N
24	24 95° 22' 35.012" E	27° 7' 49.481" N
25	25 95° 22' 21.503" E	27° 6' 50.042" N
26	26 95° 21' 49.508" E	27° 6' 9.609" N
27	27 95° 22' 30.106" E	27° 5' 36.228" N
28	28 95° 22' 59.656" E	27° 5' 56.445" N
29	29 95° 23' 33.104" E	27° 6' 30.909" N
30	30 95° 23' 54.596" E	27° 6' 32.679" N
31	31 95° 24' 32.078" E	27° 7' 2.935" N
32	32 95° 24' 58.051" E	27° 7' 24.445" N
33	33 95° 25' 42.741" E	27° 7' 36.914" N
34	34 95° 26' 23.604" E	27° 7' 40.216" N
35	35 95° 27' 1.696" E	27° 7' 47.220" N
36	36 95° 27' 30.225" E	27° 8' 21.187" N
37	37 95° 27' 38.250" E	27° 8' 54.194" N
38	38 95° 27' 33.510" E	27° 9' 18.518" N
39	39 95° 27' 26.420" E	27° 9' 34.817" N
40	40 95° 27' 50.022" E	27° 9' 48.270" N
41	41 95° 27' 55.113" E	27° 10' 22.648" N
42	42 95° 27' 45.634" E	27° 10' 43.531" N
43	43 95° 28' 1.172" E	27° 11' 1.051" N
44	44 95° 27' 38.074" E	27° 11' 32.857" N
45	45 95° 27' 34.032" E	27° 11' 47.865" N
46	46 95° 27' 24.321" E	27° 12' 14.024" N
47	47 95° 27' 33.049" E	27° 12' 37.495" N
48	48 95° 28' 4.513" E	27° 12' 51.516" N
49	49 95° 28' 23.408" E	27° 13' 12.341" N
50	50 95° 28' 38.361" E	27° 13' 35.882" N
51	51 95° 28' 43.024" E	27° 14' 4.924" N
52	52 95° 28' 4.065" E	27° 14' 11.796" N
53	53 95° 27' 28.262" E	27° 14' 22.707" N
54	54 95° 27' 16.009" E	27° 14' 52.248" N
55	55 95° 27' 35.146" E	27° 15' 18.139" N
56	56 95° 27' 55.116" E	27° 15' 43.521" N
57	57 95° 28' 14.871" E	27° 15' 47.236" N
58	58 95° 28' 11.484" E	27° 15' 15.223" N
59	59 95° 28' 56.764" E	27° 15' 6.679" N
60	60 95° 29' 7.838" E	27° 14' 32.556" N
61	61 95° 29' 52.854" E	27° 14' 48.275" N
62	62 95° 30' 23.928" E	27° 15' 11.682" N
63	63 95° 30' 41.007" E	27° 15' 45.185" N
64	64 95° 31' 17.908" E	27° 15' 36.776" N
65	65 95° 31' 33.609" E	27° 15' 52.047" N

66	66 95° 32' 6.603" E	27° 15' 45.373" N
67	67 95° 32' 35.352" E	27° 15' 34.568" N
68	68 95° 32' 53.517" E	27° 15' 16.464" N
69	69 95° 33' 27.308" E	27° 15' 0.064" N
70	70 95° 33' 51.691" E	27° 14' 45.119" N
71	71 95° 34' 28.835" E	27° 14' 40.439" N
72	72 95° 34' 29.344" E	27° 14' 12.053" N
73	73 95° 34' 44.319" E	27° 13' 48.025" N
74	74 95° 35' 7.277" E	27° 13' 31.370" N
75	75 95° 35' 50.820" E	27° 13' 25.899" N
76	76 95° 36' 24.931" E	27° 13' 40.930" N
77	77 95° 37' 11.184" E	27° 14' 1.346" N
78	78 95° 37' 53.751" E	27° 13' 46.262" N
79	79 95° 39' 9.395" E	27° 14' 16.360" N
80	80 95° 38' 57.516" E	27° 14' 58.022" N
81	81 95° 38' 1.985" E	27° 14' 59.574" N
82	82 95° 37' 42.403" E	27° 15' 27.427" N
83	83 95° 36' 59.869" E	27° 15' 12.577" N
84	84 95° 36' 20.110" E	27° 15' 56.341" N
85	85 95° 34' 48.766" E	27° 16' 22.351" N
86	86 95° 33' 46.325" E	27° 17' 3.489" N
87	87 95° 33' 50.184" E	27° 17' 37.952" N
88	88 95° 34' 7.551" E	27° 17' 59.823" N
89	89 95° 34' 25.508" E	27° 18' 16.129" N
90	90 95° 33' 3.006" E	27° 18' 43.762" N
91	91 95° 31' 44.108" E	27° 19' 10.173" N

Annexure –V

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings (mention noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance:

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.06.07 21:09:40 +05'30'